[16/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 2660]

तारांकित प्रश्न क्रमांक 2660 **परिशिष्ट - अ**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रा0कोतमा के रा0प्र0क्र0-008/अ-23/2022-23 में दिनांक 01/08/2022 को ग्राम गोइन्दा, प0ह0 कल्याणपुर, तहसील-कोतमा स्थित आ0ख0नं.-446 रकवा 1.267 हे.के संबंध में यथास्थिति बनाएं रखे जाने हेतु आगामी पेशी दिनांक-26/8/22 तक स्थगन आदेश जारी किया गया था। रा0प्र0 क्र0-008/अ-23/2022-23 में पारित ओदश दिनांक-22/02/2023 के अनुसार आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र म0प्र0भ0-राजस्व संहिता 1959 की धारा-170(ख) में वर्णित प्रावधान के विपरीत होने से आवेदन-पत्र खारिज किया गया है। आवेदन-पत्र खारिज होने से अनावेदक द्वारा जारी स्थगन आदेश के उल्लघंन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन
राजस्व विभाग शाखा-2
मंत्रालय, भोपाल

तारांकित प्रश्न क्रमांक 2660 **परिशिष्ट - ब**

ग्राम गोइन्दा, प0ह0 कल्याणपुर, तहसील-कोतमा स्थित आ0ख0नं.-446 रकवा 1.267 हे.के संबंध में विभागाध्यक्ष(यो/परि) जमुना/कोतमा क्षेत्र के कार्यालयीन पत्र क्र0-एसईसीएल /मप्र/ जको/2023/1127 दिनांक-18/02/2023 के अनुसार प्रतिवेदित किया गया है कि वादभूमि को राजस्व प्रकरण क्रमांक-7/अ-67/1985-86 दिनांक -17/12/1985 के माध्यम से तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर, जिला-शहडोल द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है। एसईसीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी परिशिष्ट अ संलग्न है। मामला एसईसीएल की अधिग्रहित भूमि से संबंधित होने के कारण आवेदकगण को कब्जा दिलाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन
राजस्व विभाग शाखा-5 2
मंत्रालय, भोपाल